रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012025-260259
CG-MH-E-15012025-260259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946
No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSHA 25, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जनवरी, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025

अधिसूचना सं. फेमा. 395(3)/2025-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा : -

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.-**(1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में, क्रम संख्या I, II, VI, VII, VIII और IX पर दिए गए मौजूदा प्रावधानों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

नियमों की अनुसूची		भुगतान माध्यम एवं बिक्रीगत आय के विप्रेषण के संबंध में अनुदेश	
I.	**अनुसूची I**	ए.	**भुगतान माध्यम**
	(भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों की खरीद अथवा बिक्री)		(1) प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से आवक विप्रेषण के रूप में या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। **स्पष्टीकरण:** प्रतिफल राशि में निम्नलिखित शामिल होंगे:
			(i) किसी भारतीय कंपनी द्वारा निवेशक को उसके द्वारा देय किसी राशि (निधि) के बदले जारी किए गए इक्विटी शेयर
			(ii) इक्विटी लिखतों या इक्विटी पूंजी का स्वैप
			(2) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर इक्विटी लिखतें जारी की जाएंगी। स्पष्टीकरण: आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के मामले में, 60 दिनों की अवधि की गणना प्रत्येक मांग-भुगतान (कॉल पेमेंट) की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।
			(3) जहां इस तरह की इक्विटी लिखतें प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर जारी नहीं की जाती हैं, उन मामलों में, उल्लिखित साठ दिन पूरे होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उक्त प्रतिफल राशि संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जावक विप्रेषण के रूप में अथवा उसके विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में जमा करने के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, वापस की जाए।
			(4) इस अनुसूची के तहत इक्विटी लिखतें जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली 2016 के अनुसरण में भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोला जा सकता है।
		बी.	**बिक्रीगत आय का विप्रेषण**
			इक्विटी लिखतों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखा गया हो, जमा किया जा सकता है।
II.	**अनुसूची II**	ए.	**भुगतान माध्यम**
	(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश)		(1) प्रतिफल की राशि का भुगतान विदेश से आवक विप्रेषण के रूप में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, या विदेशी मुद्रा खाते और/या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में रखी गई निधियों में से किया जाएगा।
			(2) जब तक इस विनियमावली में या प्रासंगिक अनुसूचियों में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, तब तक विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग केवल और विशेष रूप से इस अनुसूची के तहत आने वाले लेनदेन के लिए किया जाएगा।
		बी.	**बिक्रीगत आय का विप्रेषण**
			इक्विटी लिखतों और आरईआईटी, इनविट्स और घरेलू म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि (करों के उपरांत निवल राशि) भारत के बाहर प्रेषित की जा सकती है या एफपीआई के विदेशी मुद्रा खाते या एसएनआरआर खाते में जमा की जा सकती है।
VI.	**अनुसूची VI**	ए.	**भुगतान माध्यम**
	(सीमित		किसी निवेशक द्वारा किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान हेतु भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम

	देयता भागीदारी में निवेश)		से आवक विप्रेषण के रूप में या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।
		बी.	**विनिवेश से प्राप्त राशि का विप्रेषण**
			विनिवेश से प्राप्त राशि भारत से बाहर विप्रेषित की जा सकती है अथवा संबंधित व्यक्ति के विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में जमा की जा सकती है।
VII.	अनुसूची VII (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा निवेश)	ए.	**भुगतान माध्यम**
			(1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।
			(2) जब तक कि इस विनियमावली अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा।
		बी.	**बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशि का विप्रेषण**
			प्रतिभूतियों की बिक्री/ परिपक्वता पर प्राप्त आय (करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफ़वीसीआई) के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जा सकता है।
VIII.	अनुसूची VIII (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी निवेश माध्यम में निवेश)	ए.	**भुगतान माध्यम**
			प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के शेयरों को स्वैप कर के अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में धारित किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।
		बी.	**बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण**
			यूनिटों की बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त राशि (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए संबंधित व्यक्ति के किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में जमा किया जा सकता है।
IX.	अनुसूची X (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम)	ए.	**भुगतान माध्यम**
			अनिवासी भारतीय व्यक्ति (एनआरआई) अथवा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अपने अनिवासी बाह्य (एनआरई)/ एफ़सीएनआर(बी) खातों में धारित निधियों का उपयोग करते हुए भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) में निवेश कर सकते हैं। कोई एफपीआई विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/या एसएनआरआर खाते में धारित निधियों का उपयोग करते हुए आईडीआर में निवेश कर सकता है।
		बी.	**बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण**
			आईडीआर का निर्गमकर्ता कंपनी के अंतर्निहित (अंडरलाइंग) इक्विटी शेयरों के रूप में मोचन/ रूपान्तरण विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 के अनुपालन में किया जाएगा।

3. मूल विनियमावली के विनियम 3 में मौजूदा उप विनियम 3.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"किसी भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा परिवर्तनीय नोटों का निर्गम:

कोई स्टार्ट-अप कंपनी, जो भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट निर्गमित करती है, वह प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा संबंधित व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते से डेबिट के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। पुनर्भुगतान अथवा बिक्री पर प्राप्त आय को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में संबंधित व्यक्ति द्वारा रखे गए किसी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में जमा किया जा सकता है।"

4. मूल विनियमावली के विनियम 3 में, उप विनियम 3.2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा: -

"स्पष्टीकरण: इस विनियमावली के प्रयोजन हेतु, "बैंकिंग चैनलों" के अंतर्गत विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते सहित ऐसा कोई भी रुपया वोस्ट्रो खाता शामिल होगा, जिसे रखने की अनुमति भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियम 7 (1) में दी गयी है।"

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./897/2024-25]

फुट नोट:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण-भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 के जी.एस.आर. सं. 795(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया, यथा;

अधिसूचना सं. फेमा 395(1)/2020-आरबी दिनांक 15 जून, 2020

अधिसूचना सं. फेमा 395(2)/2020-आरबी दिनांक 23 अप्रैल, 2024

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2025

Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non- Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2025

Notification No. FEMA 395(3)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 [Notification No. FEMA.395/2019-RB dated October 17, 2019] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations) namely:-

1. **Short Title & Commencement.--** (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non- Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 3.1,for the existing provision at Sl. No. I, II, VI, VII, VIII and IX the following shall be substituted, namely:

Schedule of the Rules	**Instructions on Mode of payment and Remittance of sale proceeds**
I. Schedule I **(Purchase or sale of equity instruments of an Indian company by a person resident outside India)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in any repatriable foreign currency or Rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

	Explanation: The amount of consideration shall include: (i) Issue of equity shares by an Indian company against any funds payable by it to the investor. (ii) Swap of equity instruments or equity capital. (2) Equity instruments shall be issued to the person resident outside India making such investment within sixty days from the date of receipt of the consideration. Explanation: In case of partly paid equity shares, the period of 60 days shall be reckoned from the date of receipt of each call payment. (3) Where such equity instruments are not issued within sixty days from the date of receipt of the consideration the same shall be refunded to the person concerned by outward remittance through banking channels or by credit to his repatriable foreign currency or Rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, as the case may be within fifteen days from the date of completion of sixty days. (4) An Indian company issuing equity instruments under this Schedule may open a foreign currency account with an Authorised Dealer in India in accordance with Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of the equity instruments may be remitted outside India or may be credited to any repatriable foreign currency or Rupee account of the person concerned, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
II. Schedule II **(Investments by Foreign Portfolio Investors)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. (2) Unless otherwise specified in these regulations or the relevant Schedules, the foreign currency account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of equity instruments and units of REITs, InViTs and domestic mutual fund may be remitted outside India or credited to the foreign currency account or a SNRR account of the FPI.
VI. Schedule VI **(Investment in a Limited Liability Partnership)**	**A. Mode of payment** Payment by an investor towards capital contribution of an LLP shall be made by way of an inward remittance through banking channels or out of funds held in any repatriable foreign currency or Rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of disinvestment proceeds** The disinvestment proceeds may be remitted outside India or may be credited to any repatriable foreign currency or Rupee account of the person concerned, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016
VII. Schedule VII	**A. Mode of payment**

(Investment by a Foreign Venture Capital Investor)	(1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. (2) Unless otherwise specified in these regulations or the relevant Schedules, the foreign currency account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule. **B. Remittance of sale/ maturity proceeds** The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of the securities may be remitted outside India or may be credited to the foreign currency account or a Special Non-resident Rupee Account of the FVCI.
VIII. Schedule VIII **(Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle)**	**A. Mode of payment**: The amount of consideration shall be paid by the person concerned as inward remittance from abroad through banking channels or by way of swap of shares of a Special Purpose Vehicle or out of funds held in any repatriable foreign currency or Rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale/ maturity proceeds**: The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of the units may be remitted outside India or may be credited to any repatriable foreign currency or Rupee account of the person concerned, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
IX. Schedule X **(Issue of Indian Depository Receipts)**	**A. Mode of Payment** NRIs or OCIs may invest in the IDRs out of funds held in their NRE/ FCNR(B) account, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. An FPI may invest in the IDRs out of funds held in a foreign currency account and/or an SNRR account, maintained in accordance with the Foreign ExchangeManagement (Deposit) Regulations, 2016, as amended from time to time. **B. Remittance of sale/ maturity proceeds** Redemption/ conversion of IDRs into underlying equity shares of the issuing company shall be in compliance with the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules, 2022.

3. In the principal regulations, in regulation 3, for the existing sub-regulation 3.2 the following shall be substituted, namely;

"**Issue of Convertible Notes by an Indian start-up company:**

A start-up company issuing convertible notes to a person resident outside India shall receive the amount of consideration by inward remittance through banking channels or by debit to any repatriable foreign currency or Rupee account of the person concerned, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Repayment or sale proceeds may be remitted outside India or credited to any repatriable foreign currency or Rupee account of the person concerned, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

4. In the principal regulations, in regulation 3, after sub-regulation 3.2, the following paragraph may be inserted, namely;

"Explanation: For the purpose of these regulations, "banking channels" shall include any rupee vostro accounts,

including Special Rupee Vostro Accounts, permitted to be held by a person resident outside India, in terms of Regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016."

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./897/2024-25]

The principal regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 795 (E) dated 17th October, 2019. and subsequently amended vide the following, namely;

Notification No. FEMA. 395(1)/2020-RB dated June 15, 2020

Notification No. FEMA. 395(2)/2020-RB dated April 23, 2024

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA